262

- 1 -

समक्ष राजस्व मंडल सदस्य ग्वालियर केम्प जबलपुर

R - 2779 - II/14

पुनरीक्षणकर्ता – हाजी हबीब अहमद वल्द अब्दुल समद खाँ
आवेदक निवासी -- दानागंज, गोटेगांव
तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

श्री ....
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ....
23 JUL 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

बनाम्

अनावेदक – रमेश कुमार आ. वीरलाल धोबी
निवासी – 48/1 सांई बिहार कालोनी
सरस्वती स्कूल के पास, सुहागी, जबलपुर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

पुनरीक्षणकर्ता रा.मा.क्र. 11 अ–12 वर्ष 2013–14 राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक निरंक एवं आदेश दिनांक 11.06.2014 तहसीलदार गोटेगांव से असंतुष्ट होकर अन्य आधारों के साथ पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है । पुनरीक्षण में पक्षकारों को अत्र शब्द से संबोधित किया गया है ।

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि मौजा पिंडरई प.ह.नं. 23 नं.बं. 311 रा.नि.मं. गोटेगांव, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर में स्थित भूमि ख.नं. 11/5 रकवा 0.425 हे. के अनावेदक व अन्य सहभूस्वामी कास्तकार हैं एवं आवेदक ख.नं. 11/2 रकवा 0.870 हे. का कास्तकार है । आवेदक गोटेगांव में निवास करता है और कृषि भूमि को कास्त करने के लिये समय–समय पर आता–जाता रहता है ।

2. यह कि अनावेदक रमेश कुमार के द्वारा म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत ख.नं. 11/5 रकवा 0.425 हे. की भूमि के पैमाइश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था आवेदन पत्र में पड़ौसी कृषकों की कोई भी जानकारी वर्णित नहीं की गई और न उनके कोई खसरा नबरों का उल्लेख किया गया । आवेदन पत्र के अनुसार राजस्व निरीक्षक के द्वारा दिनांक 21.05.2014 को पड़ौसी कृषकों को सूचना दिये बिना पैमाइश की गई और पंचनामा बनाकर तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । यह कि आवेदक को जानकारी मिलने पर दिनांक 27.05.2014 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि

शेष पृ.क्र. 2 पर देखें

R 2779.15/14 (नरसिंहपुर)

निवासी ग्राम बेलखेड़ी (टिकरी) तहसील गोटेगाँव, जिला - नरसिंहपुर - हालनिवास, हरदोलवार्ड (बेलखेड़ी टिकरीवाले) गोटेगांव तहसील - गोटेगाँव - जिला नरसिंहपुर
3. वसंतकुमार आत्मज शिवकुमार लोधी
निवासी ग्राम बेलखेड़ी (टिकरीवाले) - तहसील गोटेगाव - जिला नरसिंहपुर -
हाल निवास - ग्राम गुहेचर - नरसिंहपुर रोड तहसील गोटेगांव - जिला - नरसिंहपुर।

Amended & incorporated as per order Dt - 29.3.16.
Adhoale.

शेष पृ.क. 2 पर देखें

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2779–दो/14 जिला – नरसिंहपुर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, गोटेगांव द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 11–6–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 129 के तहत अपनी भूमिस्वामी हक की ग्राम पिड़रई स्थित भूमि खसरा नं. 11/5 के सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेश जारी किया गया । तदुपरांत राजस्व निरीक्षक मंडल करकवेल द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन पंचनामा सहित पेश किया गया । राजस्व निरीक्षक की एक–एक प्रति तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक एवं अनावेदक को प्रदान की गई है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक द्वारा जो आवेदन पेश किया गया उसमें पड़ौसी कृषकों की कोई जानकारी वर्णित नहीं की गई है और ना ही उनके खसरा नंबरों का उल्लेख है जबकि खसरा नंबर 11/5 के अनावेदक के अतिरिक्त अन्य सह–	

निग. 2779 15/14 (आदेश)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमिस्वामी भी हैं । राजस्व निरीक्षक द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि खसरा नं. 11 का रकबा 30.48 है तब संपूर्ण भूमि की पैमाइश किए बिना मात्र अनावेदक की भूमि की पैमाइश विधिवत नहीं है । राजस्व निरीक्षक द्वारा यह मानकर भी त्रुटि की गई है कि आवेदक 2.363 हैक्टर पर काबिज है जबकि उनके नाम पर 2.003 हैक्टर भूमि है ।	
	4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता को दिनांक 24–8–16 को प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने हेतु समय दिया गया था उसके उपरांत अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन लिखित तर्क एवं दस्तावेज हेतु एक माह का समय दिए जाने हेतु पेश किया गया किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक कोई लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।	
	5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पश्ट होता है कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 11/5 रकबा 0.425 के सीमांकन हेतु आवेदन पेष किया गया । तहसीलदार के आदेषानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 21–5–14 को सीमांकन कर प्रतिवेदन पेश किया गया है । प्रतिवेदन में राजस्व निरीक्षक ने यह कहा है कि पक्षकारों के नाम जिस सर्वे नंबर पर अंकित हैं वे उस पर काबिज न होते हुए अन्य सर्वे नंबर पर काबिज हैं । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने राजस्व निरीक्षक द्वारा	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2779–दो/14 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है ना तो तहसीलदार के प्रतिवेदन को आदेश का अंग माना है और ना ही सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि की है केवल राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रतियां दोनों पक्षों को प्रदाय की गई हैं इसे अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता । आवेदक अपनी आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन आवेदन के अनुकम में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर उभयपक्षों एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को सुनकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकारों को सूचना दी जाये एवं अभिलेख वापिस किया जाये । सदस्य	